



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 862) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2023

अधिसूचना संख्या 12/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 345 दिनांक 19 अक्टूबर 2023—बिहार माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017 -राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में:-

(क) तालिका में,

- (i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

”बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापारकी इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में पटना से रांची तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.;

- (ii) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

”बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरण: 'क' ने मोटर कैब में पटना से रांची तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु.;

- (iii) क्रम संख्या 34 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में, मद (iv) में, शब्दों ”टोटल्लिसेटर या या ऐसे क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति” के स्थान पर, शब्द ” किसी क्लब में बुकमेकर की अनुज्ञप्ति द्वारा” प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुबंध में: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना,

(i) क्रम संख्या 696 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 698 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17)12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

19 अक्टूबर 2023

एस० ओ० 345, दिनांक 19 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17)12)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 19th October 2023

Notification No. 12/2023- State Tax (Rate)

S.O. 345, Dated 19th October 2023—Inexercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, NotificationNo. 11/2017- State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, published in theBihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29thJune, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

- (i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent,the following condition shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transport from Patna to Ranchi in a motor cab for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires a motor cab with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If ‘B’ charges ‘A’ state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.”;

- (ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:-

“Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: ‘A’ engages ‘B’ for transport from Patna to Ranchi in a motor cab for Rs. 1000. ‘B’, for supplying the said service, hires a motor cab with operator from ‘C’ for Rs. 800. ‘C’ charges ‘B’ state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If ‘B’ charges ‘A’ state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by ‘C’ only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.”;

- (iii) against serial number 34, -

- (a) in column (3), in item (iv), for the words “totalisator or a license to” , the words “licensing a” shall be substituted;
- (b) in column (3), item (v) and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) in the Annexure: Scheme of Classification of Services,-

- (i) serial number 696 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) serial number 698 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 20thday of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17)12)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)862-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>